

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./126/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/212

1. रूकमा पत्नि स्व. नानू जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. अजय कुमार पुत्र ताराचन्द जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. आशीष पुत्र ताराचन्द जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. इन्द्रा बाई पुत्री नानू जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. कोमल पुत्र ताराचन्द जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. मधु देवी पुत्री ताराचन्द जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. ललिता पत्नि स्व. ताराचन्द जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. सीमा पुत्री ताराचन्द जाति मेहतर निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-16.07.2025

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री राहुल आचार्य
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गोरधनपुरा पटवार क्षेत्र पाड़लियां भू0अ0नि0 क्षेत्र नागोला के खाता सं0 02 में दर्ज खसरा संख्या 830 रकबा 0.97 कुल किता 01 कुल रकबा 0.97 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगणों को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काशत बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128

9
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय अजमेर।

रा०भू०अधि० स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम गोर्धनपुरा के खाता संख्या 02 संवत् 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दोराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अतः बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा गोर्धनपुरा पटवार क्षेत्र पाड़लियां भू०अ०नि० क्षेत्र नागोला के खाता सं० 02 में दर्ज खसरा संख्या 830 रकबा 0.97 कुल किता 01 कुल रकबा 0.97 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थीगणों की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)